हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

छात्रसंघ चुनाव : 2021–22

डॉ0 अशोक कुमार सिंह
मुख्य चुनाव अधिकारी
छात्र संघ
हरिश्चन्द्र पी0जी0 कालेज, वाराणसी।

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय
वाराणसी– 221001
मो0 नं0 – 9450540988
ई–मेल: dr.ashoksingh1@gmail.com

पत्रांक :.. दिनांक : 05.05.2022

छात्रसंघ चुनाव : 2021–22

अधिसूचना

चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण निम्नलिखित निर्देशों का पालन कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1– उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा पठन–पाठन के बीच कक्षा में घुसकर प्रचार/मतदाता सम्पर्क करना या कक्षा की शान्ति भंग करना सर्वथा वर्जित होगा।

2– चुनाव प्रचार अथवा मतदाता सम्पर्क हेतु छपे हुए विज्ञापन, पर्चे या अन्य किसी भी प्रकार की मुद्रित प्रचार सामग्री का प्रयोग सभी उम्मीदवारों के लिए वर्जित होगा।

3– संस्था के भवनों एवं उसकी चहारदीवारी के भीतरी एवं बाहरी सतहों पर प्रचार के लिए कुछ भी लिखना चिपकाना वर्जित है।

4– कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को विरूपित या नष्ट नहीं करेगा। महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने की दशा में सभी उम्मीदवार अलग–अलग और संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

5– चुनाव की अवधि में उम्मीदवार या उनके समर्थकों के लिए महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का हथियार/आग्नेयास्त्र लाना या उसका प्रयोग करना सर्वथा वर्जित होगा। इस नियम का उल्लंघनकर्ता सख्त दण्डात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

6– निर्वाचन सम्बन्धी समस्त प्रकार की गतिविधियाँ केवल हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालेज परिसर के अन्दर ही संचालित की जायेगी।

7– किसी भी कैण्डीडेट के द्वारा यदि परिसर के बाहर छात्रसंघ निर्वाचन सम्बन्धित कोई गतिविधि जुलूस, लाउड स्पीकर, वाहन वोट मांगने हेतु रैली/सभा प्रचार–प्रसार, बैनर सामग्री आदि गतिविधियां की जाती है तो ऐसे उम्मीदवार का अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। साथ ही इसका उल्लेख निर्वाचन प्रक्रिया की गाइडलाइन तथा आदर्श आचार संहिता में भी चुनाव अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8– कैण्डीडेट के अलावा यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा कालेज परिसर के बाहर छात्रसंघ चुनाव सम्बन्धी गतिविधिया की जाती हैं तो उस छात्र/छात्रा पर कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा शहर के लोगों को असुविधा पहुचाने के आरोप में ऐसे छात्र/छात्राओं का निलम्बन/उनका नामांकन निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

9– चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड–19 (कोराना वायरस) के प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर निर्गत गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक	दिन	कार्य	कार्य समय
08–05–2022	रविवार	नामांकन	पूर्वाह्न 10:00 बजे अपराह्न 04:00 बजे तक
09–05–2022	सोमवार	नामांकन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन	
10–05–2022	मंगलवार	(1) नाम वापसी	पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक चुनाव कार्यालय में
		(2) शेष उम्मीदवारों की पदवार सूची का प्रकाशन	अपराह्न 04:00 बजे के बाद चुनाव कार्यालय में।
16–05–2022	सोमवार	मतदान	प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक
		मतगणना	अपराह्न 03:00 बजे से कार्य सम्पन्न होने तक
		निर्वाचन परिणाम एवं शपथ ग्रहण	मतगणना समापन के पश्चात्

डॉ0(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य चुनाव अधिकारी, छात्र संघ

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

छात्रसंघ निर्वाचन (सत्र 2021–22)   दिनांक:05.05.2022

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्रसंघ 2021–22 के निर्वाचन की प्रक्रिया दिनांक 05.05.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 16.05.2022 तक सम्पन्न हो रही है। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारूप निम्नवत् है:

दिनांक	दिन	कार्य	कार्य समय
08-05-22	रविवार	नामांकन	पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
09-05-22	सोमवार	नामांकन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन।	
10-05-22	मंगलवार	(1) नाम वापसी :	पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक चुनाव कार्यालय में।
		(2) शेष उम्मीदवारों की पदवार सूची का प्रकाशन	अपरान्ह 04:00 बजे के बाद चुनाव कार्यालय में।
16-05-22	सोमवार	मतदान	प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक
		मतगणना	अपराह्न 03:00 बजे से कार्य सम्पन्न होने तक
		निर्वाचन परिणाम एवं शपथ ग्रहण	मतगणना समापन के पश्चात्

निर्वाचित पदाधिकारियों की अधिकृत घोषणा 16.05.2022 सायं मतगणना के पश्चात की जायेगी

निर्देश: प्रत्याशी को नामांकन पत्र जमा करते समय अपने परिचय पत्र के साथ महाविद्यालयीय प्रवेश के सत्र 2021–22 की देय अदायगी पत्र (शुल्क रसीद) जमा करना अनिवार्य होगा। बिना देय अदायगी के नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। छात्र संघ/नामांकन की तिथि व मतदान की तिथि को परिसर में मोबाइल लाना पूर्णतया वर्जित है।

चुनाव सम्बन्धी नियम:

01. चुनाव का संचालन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जारी संशोधित छात्रसंघ नियमावली के अनुसार होगा।

02. इस घोषणा के द्वारा महाविद्यालय के कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, शिक्षा संकाय के निम्न सूची के कक्षाओं के नियमित छात्र–छात्राओं में से छात्र संघ पदाधिकारियों – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री तथा प्रत्येक संकाय के लिए एक–एक संकाय प्रतिनिधि के पदों हेतु नाम आमंत्रित है। निम्न सूची के कक्षाओं में दिनांक 05.05.2022 तक प्रवेश प्राप्त छात्र ही मतदाता एवं प्रत्याशी हो सकते हैं।

क्रम सं0	संकाय	कक्षा
01.	कला (आर्ट्स)	बी0ए0 भाग–एक, दो एवं तीन
		एम0ए0 भाग–एक, दो हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल
02.	वाणिज्य (कामर्स)	बी0काम भाग–एक, दो एवं तीन
		बी0बी0ए0 भाग–एक, दो एवं तीन
		एम0काम0 भाग–एक, एम0काम0 भाग–दो
03.	विज्ञान (साइंस)	
	पी0एम0सी0	
	पी0एम0एस0	
	बी0जेड0सी0	बी0एस–सी0 भाग–एक, दो एवं तीन
		बी0सी0ए0 भाग–एक, दो एवं तीन
		एम0ए0/एम0एस–सी0 भाग–एक व दो गणित
		एम0ए0/एम0एस–सी0 भाग–एक व दो सांख्यिकी
		एम0एस–सी0 भाग–एक व दो रसायन
		एम0एस–सी0 भाग–एक व दो प्राणि
		एम0एस–सी0 भाग–एक व दो वनस्पति
		एम0एस–सी0 भाग–एक व दो भौतिकी
04.	विधि (लॉ)	एल0–एल0बी0 भाग–एक, दो एवं तीन
05.	शिक्षा संकाय	बी0एड0 भाग–एक व दो

03.	नामांकन पत्र चुनाव कार्यालय से दिनांक 07.05.2022 को दिन में 12:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक प्राप्त होंगे।
04.	नामांकन पत्र जमा करते समय प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक की प्रत्यक्ष उपस्थिति में परिचय पत्र एवं शुल्क रसीद साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
05.	संकाय प्रतिनिधि के नामांकन में उसी संकाय का प्रस्तावक एवं अनुमोदक होना अनिवार्य है।
06.	नाम वापसी पत्र चुनाव कार्यालय से प्राप्त होंगे।
07.	चुनाव सम्बन्धी विवाद की सूचना तुरन्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यालय में लिखित रूप से दी जानी चाहिए।
08.	चुनाव अचार संहिता का पूर्ण रूप से अनुपालन सभी प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर प्रत्याशी की पात्रता समाप्त की जा सकती है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रत्याशी की स्वयं होगी।
09.	मतदान के समय मोहर युक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परिचय पत्र (आईडेंटिडी कार्ड) एवं शुल्क रसीद दिखलाना अनिवार्य है। प्रत्येक छात्र को अपने परिचय–पत्र की वैधता की भली–भाँति जांच कर लेना (2021–22 सत्र के लिए) आवश्यक है। परिचय पत्र के बिना परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित होगा।
10.	मतदान आरम्भ से 30 घण्टे पूर्व चुनाव प्राचार कार्य बन्द हो जायेगा।
11.	मतदान के पूर्व निर्धारित तिथि 15.05.2022 अपरान्ह 02:00 बजे तक ही परिचय पत्र बनेगा या नवीनीकरण हो सकेगा। इसके पश्चात् किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र सम्बन्धी कोई कार्य नहीं होगा।
12.	प्रत्येक मतदाता के परिचय पत्र पर लगे फोटो से उसके प्रवेश आवेदन पत्र पर लगे फोटो से मिलान कर ही मतपत्र दिया जायेगा।
13.	मतपत्र पर प्रत्याशियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमवार होगा।

डॉ0(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छात्रसंघ